न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
07/23	एफएसएस एक्ट, 2006	16/06/2023

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

–आवेदक

बनाम

1. श्री वेदप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री स्व0 चौथीलाल गुप्ता (विक्रेता) मैसर्सः– वेदप्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी खारी बाजार ,गंगापुर सिटी।
2. श्री महावीर कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता (पार्टनर) मैसर्स ओ0डी0फूड प्रोडक्टस निवासी पटेलों का मौहल्ला, ग्राम भूगोर जिला अलवर 301001
3. श्री धीरज कुमार यादव पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद यादव (पार्टनर) मैसर्स ओ0डी0फूड प्रोडक्टस निवासी जी0डी0हाउस ,खण्डेलवाल धर्मशाला के पीछे , सिविल लाईन अलवर 301001
4. श्री रामबाबू सेठी पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद सेठी (पार्टनर) मैसर्स ओ0डी0फूड प्रोडक्टस निवासी 10/366, स्कीम नं0 2 गली नं0 2 जुबली बास, अलवर 301001।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक. 16.12.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 08.10.2022 को दोपहर 01:00 पी0एम पर उक्त फर्म वेदप्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी., खारी बाजार , गंगापुर सिटी सस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क पैकिंग में 500–500 ग्राम के पैकेट रखे थे। उक्त रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम (4 पैकेट 500 ग्राम) रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क खरीदकर उनकी कीमत 504/– रू0 विक्रेता श्री वेदप्रकाश गुप्ता को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान श्री मनोज कुमार गुप्ता एवं श्री वेदप्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीकर कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा 500 ग्राम के 04 पैकेट रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क पर लेबल तैयार कर पैकेट पर लगाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2458 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लेपट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2458 नियमानुसार चरों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं[illegible] प्रतियॉं एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर [illegible] विक्रेता श्री वेदप्रकाश गुप्ता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5[illegible] एक प्रति श्री वेदप्रकाश गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिस नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद

प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2022/144 दिनांक 04.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2952/एक्ट/2022/2981 दिनांक 19.10.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का खाद्य पदार्थ रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर पत्रावली रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि नमूना रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क मिस ब्रान्ड प्रकृति का होना बताया गया है। जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के लिए हानिकारक होना नहीं बताया है। आवेदक द्वारा जो पैकिट नमूना लिया है उस पर **Best before six month from packing** लिखा हुआ है। आवेदक द्वारा त्रुटि पूर्ण एवं अनुचित कार्यवाही के आधार पर जबाबदारान को दण्डित नही किया जा सकता है। जबाबदार छोटे निर्माता होने एवं प्रथम गलती को ध्यान में रखते हुए माफी चाहते है, साथ ही अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का रेफर प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अभियुक्तगण द्वारा अपनी गलती को सुधार लिया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही समाप्त की जावे।

हमने अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2952/एक्ट/2022/2981 दिनांक 19.10.2022 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ रेड चिली पाउडर (बोस) एगमार्क मिस ब्रान्ड प्रकृति का पाया गया है। जिस गलती की अभियुक्तगणों से स्वयं स्वीकार किया है तथा यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 को 10,000 (दस हजार) रू0 तथा अभियुक्त सं0 2 लगायत 4 को संयुक्त रूप से 1,00,000 (एक लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

(रामकिशोर मीना)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी